जस्बीर सिंह और जितेंद्र चौहान, न्यायमूर्ति के समक्ष

शीला देवी— याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य — प्रतिवादी

2007 की सीडब्ल्यूपी नंबर 8844

22 अगस्त, 2008

भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—हरियाणा मृतक के आश्रितों को अनुकंपा सहायता सरकारी कर्मचारी नियम, 2003 — हरियाणा अनुकंपा मृतक सरकार के आश्रितों की सहायता कर्मचारी नियम, 2005 — अनुकंपा नियुक्ति/सहायता का दावा करने वाले मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रित- सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नीतियों में विभिन्न संशोधन/संशोधन कर रही है — मृतक कर्मचारी के आश्रित के दावे का निर्धारण — क्या मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित पॉलिसी या उसके आश्रित के मामले का निर्णय लेने के समय प्रचलित पॉलिसी अनुकंपा नियुक्ति या वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए लागू होती है — सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित नीति लागू — उत्तरदाताओं ने सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय लागू योजनाओं के अनुसार याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया।

अभिनिर्धारित किया, विषय से संबंधित मामलों का निर्णय करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुकंपा नियुक्ति या वित्तीय नियुक्ति के लिए आश्रित के दावे का निर्णय करते समय मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय की

नीति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कानून के उपर्युक्त प्रस्ताव का पालन करके, हम मृतक सरकार की मृत्यु के समय उस नीति का पालन करें कर्मचारी मृतक कर्मचारी के आश्रित के दावे के निर्धारण के लिए लागू होगा।

आगे अभिनिर्धारित किया, राज्य सरकार की प्रमुख वस्तु समय-समय पर विभिन्न योजनाओं, नीतियों और नियमों को तैयार करना है, मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के पुनर्वास के लिए। सभी पूर्व-ग्रैटिया योजनाएं शोक संतप्त के कल्याण के लिए तैयार की जाती हैं परिवार जिसकी रोटी कमाने वाले ने राज्य की सेवा की है और राज्य की सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है।

(पैरा 23)

रान्यायमूर्ति श शीरन, *याचिकाकर्ता के लिए वकील*

एच. एस. डाकू, *महाधिवक्ता, हरियाणा के साथ*

हरीश राथे, *सीनियर डीएजी, हरियाणा और*

अज ऐ गुप्ता, *सीनियर. डीएजी, हरियाणा*

जितेन्द्र चौहान, न्यायमूर्ति

(1) यह आदेश सीडब्ल्यूपी नंबर का निपटान करेगा. 655, 3279, 3468, 6992, 8844, 9707, 10787, 11608, 12102, 13264, 13552, 13690, 14795, 14906, 15789, 17059, 17734, 17904, 18318, 2007 का 19419 और सीडब्ल्यूपी सं. 853, 908, 1169, 1913, 2794, 2890, 5969, 6258, 6280, 11886, 12102, 12124, 12170, 12230, 12301, 12584, 12589, 12878, 13086, 13172, 13311, 13324, 13362 और 13369 सभी रिट याचिकाओं में शामिल विवाद समान है। हालाँकि, तथ्य 2007 के सीडब्ल्यूपी नंबर 8844/2007 **शीला *देवी*** *बनाम* **हरियाणा राज्य और अन्य** से निकाला गया।

(2) याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत वर्तमान रिट याचिका दायर की, जिसमें दिनांक 6 मार्च, 2007 (अनुलग्नक पी-8) के विवादित आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की

प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए याचिकाकर्ता का दावा खारिज कर दिया गया है और 9 अगस्त, 2006 (अनुलग्नक पी-9) के आदेश को रद्द करने के लिए भी-जिसमें प्रतिवादी नं. 5 को याचिकाकर्ता के बेटे के दावे की अनदेखी करते हुए हरियाणा सशस्त्र पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया ।याचिकाकर्ता ने आगे परमादेश की एक रिट जारी करने का अनुरोध किया है, जिससे प्रतिवादियों को प्रत्यर्थी नं. 5 मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को हरियाणा अनुकंपा सहायता नियम, 2003/2005, दिनांक 18 नवंबर, 2005 के तहत (अनुलग्नक पी-8)।आगे की प्रार्थना किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश को जारी करने के लिए है जिसे वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त माना जा सकता है।

(3) तत्काल मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता का पति प्रतिवादी नं. 3 एएसआई के रूप में। मृत्यु के समय, याचिकाकर्ता का पति 48 वर्ष 5 महीने और 6 दिन का था। रिट याचिका में यह कहा गया है कि मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला था और परिवार के सभी सदस्य पूरी तरह से मृतक की कमाई पर निर्भर थे। मृत्यु के कारण परिवार को भयंकर भुखमरी का सामना करना पड़ रहा था। मृतक कर्मचारी के परिवार की कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा करने के लिए, 24 अक्टूबर, 2005 को याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर अपने बेटे, अर्थात् विकास की नियुक्ति के लिए आवेदन किया। अभिकथन के अनुसार, 26 जुलाई, 2006 को याचिकाकर्ता के मामले की पुलिस अधीक्षक, रोहतक प्रत्यर्थी द्वारा सराहना की जाती है। 4 सिपाही के रूप में और पुलिस महानिरीक्षक, रोहतक के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को नियुक्ति के लिए-26 जुलाई, 2006 के पत्र के माध्यम से। रिकॉर्ड के अनुसार, रोहतक के पुलिस अधीक्षक ने 11 सितंबर, 2006 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को 2003/2005 की अनुग्रह नीति के अनुसार एकमुश्त भुगतान या 2006 की अनुग्रह नीति के अनुसार मासिक वित्तीय सहायता के लिए अपनी सहमति भेजने के लिए सूचित किया। हालांकि, याचिकाकर्ता ने पुलिस अधीक्षक, रोहतक द्वारा 11 सितंबर, 2006 को भेन्यायमूर्ति गए पत्र के अनुसरण में 2003/2005 की अनुग्रह नीति के अनुसार हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति के लिए अपने बेटे के मामले पर विचार करने का अनुरोध किया।

(4) 20 अक्टूबर, 2006 को पुलिस अधीक्षक के कार्यालय ने याचिकाकर्ता के बेटे के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि अगस्त, 2006 के महीने में तैयार की गई नई अनुग्रह नीति के अनुसार नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है और नीति के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा केवल मासिक वित्तीय सहायता या सहायता या एकमुश्त राशि का लाभ उठाया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नं. 4 22 अक्टूबर, 2006 को अपने बेटे के मामले को नियुक्ति के लिए आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन उन्हें सूचित किया गया था कि उनके बेटे के मामले की सिफारिश इस आधार पर नहीं की जा सकती है कि सरकार ने अगस्त, 2006 में नई नीति तैयार की है, यानी i.e। 2006 की अनुग्रह राशि नीति और उक्त नीति में अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 25 अक्टूबर, 2006 को रिट याचिका-सह-अंतिम मांग नोटिस का अग्रिम नोटिस दिया। कोई वैकल्पिक उपाय नहीं होने के कारण, याचिकाकर्ता ने सिविल रिट याचिका नं. 2006 का 18598 श्रीमती के रूप में शीर्षक, शीला देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 23 नवंबर, 2006 को इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता द्वारा भेन्यायमूर्ति गए कानूनी नोटिस पर दो सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लेने के निर्देश के साथ निपटारा किया गया था।

(5) इसके उत्तर में प्रत्यर्थी नं. 4 ने कानूनी नोटिस का निर्णय लिया और याचिकाकर्ता के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दिनांक 1 अगस्त, 2006 की संशोधित नीति के अनुसार, याचिकाकर्ता का बेटा अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने का हकदार नहीं है।

(6) याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका में नाराजगी जताई है कि उसके बेटे की नियुक्ति के दावे को खारिज कर दिया गया है, जबकि प्रतिवादी नं। 5 को अनुकंपा नीति का लाभ देकर हरियाणा सशस्त्र पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रत्यर्थी की नियुक्ति सं। 5 विशेष रूप से इस कारण से नाराज है कि प्रतिवादी नं। 5 की मृत्यु 13 अप्रैल, 2006 को हुई, जबकि याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु 11 अक्टूबर, 2005 को हुई और याचिकाकर्ता ने 24 अक्टूबर, 2005 तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं। प्रत्यर्थी द्वारा रखी गई वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता का पुत्र प्रत्यर्थी नं. 5 और प्रत्यर्थी सं. 5 से पहले नियुक्ति के लिए योग्य विचार। 5 प्रत्यर्थी की नीति/दिशानिर्देशों के अनुसार। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नं. 1 द्वारा जारी नियुक्ति पत्र की एक प्रति भी संलग्न की है। 2 प्रत्यर्थी के पक्ष में नं. 5. उसी के आधार पर, याचिकाकर्ता ने

जोर देकर कहा कि रिक्तियां 9 अगस्त, 2006 को उपलब्ध थीं और उनके बेटे की नियुक्ति के लिए क्लियाम को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है। 28 फरवरी, 2003/18 नवंबर, 2005 के निर्देशों के अनुसार, हरियाणा सरकार ने नियम बनाए कि किसी कर्मचारी की मृत्यु के कारण, उसके कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक अनुकंपा वित्तीय सहायता पर अनुग्रह राशि का विकल्प चुन सकता है। 2.5 लाख रुपये, जिसे बाद में 18 नवंबर, 2005 को संशोधित किया गया था। 5 लाख। याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया है कि उसके पति की मृत्यु के समय, अनुग्रह नीति/नियम 2003-2005 अस्तित्व में था और उसके बेटे के मामले पर अनुग्रह नीति 2003-05 के अनुसार विचार किया जाना आवश्यक था।

(7) पैरा नं. 2(i) मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए हरियाणा कंपनी सहायता, नियम, 2003 के निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः –

> "इस मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 209 के तहत 'हरियाणा में मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के प्रति अनुकंपा नियम, 2003' बनाया गया है, जिसे 28 फरवरी, 2003 को अधिसूचित किया गया है। 4 मार्च, 2003 का राजपत्र, एक मृतक कर्मचारी के परिवार को रोटी कमाने वाले के नुकसान के परिणामस्वरूप आपातकालीन स्थिति से निपटने में सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कोई भी विकल्प देकरः
>
> (i) अनुकंपा के आधार पर परिवार के एक सदस्य को अनुग्रह राशि की नियुक्ति जो मृतक कर्मचारी पर "पूरी तरह से निर्भर" था और मृतक के नुकसान के कारण अत्यधिक वित्तीय संकट में है, अर्थात्, सरकारी कर्मचारी जिसकी मृत्यु हो जाती है ":

(8) मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के लिए हरियाणा अनुकंप सहायता नियम, 2005 के प्रासंगिक पैरा 6 (1) और (2) को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"6 (1) संबंधित विभाग का प्रमुख जहां मृतक/लापता सरकारी कर्मचारी कार्यरत था, मृतक/लापता सरकारी कर्मचारी के पूरी तरह से

आश्रित गरीब पात्र परिवार के सदस्यों को नियुक्ति/अनुकंपा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सक्षम है।

(3) विभाग का प्रमुख ऐसे पात्र परिवार के सदस्यों की एक सूची तैयार करेगा, जिन्होंने 6 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन किया है। मृतक/लापता सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के संदर्भ में पात्र परिवार के सदस्यों के नामों की व्यवस्था की जाएगी। पात्र परिवार के सदस्य का नाम मृत्यु की तारीख से 4 साल की अवधि के लिए सूची में रहेगा और आश्रित द्वारा इस तरह से बनाए गई वरिष्ठता के अनुसार सख्ती से नियुक्ति दी जाएगी।

(9) याचिकाकर्ता ने आगे आपत्ति जताई है कि दी गई परिस्थितियों में प्रतिवादी नं. 5 और उसके बेटे को, जो 2003-05 की अनुग्रह नीति के अनुसार नौकरी के लिए पात्र था, नौकरी देने से इनकार करना उसे परेशान करने और राज्य सरकार द्वारा परिवारों के कल्याण के लिए बनाई गई नीति के उद्देश्य को विफल करने के लिए स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और मनमाना था।

(10) सब कुछ कहा और किया गया, याचिकाकर्ता की शिकायत का अभी तक निवारण नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता को वर्तमान रिट-याचिका दायर करके इस न्यायालय में जाने के लिए विवश किया गया था जैसा कि ऊपर देखा गया है।

(11) सभी रिट याचिकाओं में कानून और तथ्यों का एक समान प्रश्न शामिल है। अधिकांश रिट याचिकाओं में राज्य द्वारा उत्तर दायर किया गया है, और उत्तरदाताओं द्वारा एक सामान्य रुख अपनाया गया है कि या तो याचिकाकर्ता (ओं) का मामला अनुग्रह योजना की नीति के तहत नहीं आता है या रिक्ति उपलब्ध नहीं है।

(12) हरियाणा राज्य ने अनुग्रह योजना के तहत मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के रोजगार के लिए अपने कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए कई नीतियां/निर्देश और नियम पेश किए। समय बीतने और परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ, सरकार द्वारा स्वयं अंतराल पर और कभी-कभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आलोक में कई संशोधन/परिवर्तन किए गए हैं। इस संबंध

में हरियाणा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 1 अगस्त, 2006 को जारी किए गए मृत सरकारी कर्मचारी नियम, 2006 के आश्रितों को हरियाणा अनुकंपा सहायता की अंतिम अधिसूचना जारी की गई है। सेवा के दौरान मरने वाले/लापता सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति/वित्तीय सहायता देने के लिए नियम बनाए गए थे।

(13) उपर्युक्त सभी मामले अनुकंपा नियुक्ति या अनुकंपा सहायता प्रदान करने से संबंधित हैं, सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में या विकलांगता के कारण कर्मचारी के निर्वहन के कारण। पूर्वगामी परिच्छेद में विभिन्न वर्षों में हरियाणा राज्य द्वारा बनाई गई नीतियों से संबंधित सभी मामले उल्लिखित हैं । जब वर्ष 1995 से अनुकंपा नियुक्ति या अनुकंपा सहायता प्रदान करने के लिए राज्य की नीतियां लागू हुईं, जब हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2006 जारी नहीं किया गया।इसीलिए स्थिति की अनिवार्यता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संशोधन/संशोधन किए गए हैं, ऊपर उल्लिखित 2006 के नए नियमों के अनुसार निर्णय/विचार किया जाना है।

(14) हम महसूस करते हैं कि इस स्तर पर नीतियों के विवरण को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बड़ी संख्या में याचिकाकर्ता हैं और परिवारों की शोक अवधि काफी लंबी है और इस तथ्य के साथ कि मृतक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख भी प्रत्येक याचिका में अलग-अलग है। मामले के इस दृष्टिकोण में, भौतिक प्रश्न यह निर्धारित करने के लिए है कि अनुकंपा नियुक्ति या वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के लिए कौन सी नीति लागू होगी, i.e., क्या मृत्यु के समय प्रचलित नीति मृतक कर्मचारी या उसके आश्रित के मामले को तय करने के समय प्रचलित नीति। **अभिषेक कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**[1] के मामले में माननीय सर्वोच्च

[1] 2007 (2) S.C.T. 457

न्यायालय द्वारा इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है (1). इस निर्णय के प्रासंगिक पैरा 5 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः –
" इसमें अपीलार्थी ने अनुकंपा के आधार पर उस समय नियुक्ति की मांग की थी जब 2003 के नियम अस्तित्व में नहीं थे। इसलिए, उनके मामले पर उन नियमों के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता थी जो वर्ष में अस्तित्व में थे। 2001 में जाहिर है, हरियाणा राज्य में एक राज्यवार सूची रखी जाती है। हरियाणा राज्य द्वारा इस प्रकार रखी गई उक्त सूची के संदर्भ में, अपीलार्थी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने का हकदार था। उन्हें राज्य द्वारा ऐसी नियुक्ति की पेशकश की गई थी। यह जिला मजिस्ट्रेट ही थे जो रास्ते में आए और पद प्रदान करने से इनकार कर दिया।"

(15) इसी तरह के विवाद का फैसला इस अदालत ने सीडब्ल्यूपी नं. 2006 का 15649, जिसका शीर्षक ***प्रेमो देवी बनाम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड***, 29 नवंबर, 2007 को तय किया गया और एक दूसरे मामले का शीर्षक ***नीरज मलिक बनाम हरियाणा राज्य और अन्य था।***[2]

(16) पुनः ***जय राम बनाम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और एक अन्य***[3]जिसमें इसे इस प्रकार देखा गया हैः

"हम विद्वान वकील की दलीलों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं। उत्तरदाताओं को अपनी गलती का साहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। याचिकाकर्ता 24 अगस्त, 2002 को अपने पिता की मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने का पात्र बन गया था। आवश्यक आवेदन 3 सितंबर, 2002 को किया गया था (अनुलग्नक पी-1) । इसे सक्षम अधिकारियों द्वारा भी विधिवत उधार दिया गया था। इस बात का कोई औचित्य नहीं था कि याचिकाकर्ता को थोड़े समय के भीतर क्यों नियुक्त नहीं किया जा सकता था। दयालु नियुक्ति का उद्देश्य उस परिवार को सहायता प्रदान करना है जिसके एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु हो गई है ।"

---

[2] 2007 (1)R.S.J. 235 (DB).

[3] 2004 (5) S.L.R. 851 (DB).

(17) इस न्यायालय ने सीडब्ल्यूपी नं. में भी इसी तरह के प्रश्न का उत्तर दिया है। 2007 के 6890 का शीर्षक ***ललिता शर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य*** ने 11 जुलाई, 2007 को निर्णय लिया। इस न्यायालय ने कानून के विवरण के निम्नलिखित विशिष्ट प्रश्नों को तैयार करके विवाद को शांत कियाः

-(i) कौन सी पॉलिसी मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों पर लागू होती है, क्या पॉलिसी मृतक की मृत्यु के समय प्रचलित या पॉलिसी अनुग्रह रोजगार के अनुदान के लिए मामले का निर्णय लेने के समय प्रचलित?

(ii) क्या आश्रित वर्तमान परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के कारण अनुग्रह रोजगार के हकदार हैं जैसा कि उपरोक्त रिट याचिकाओं में शामिल है?

(iii) क्या याचिकाकर्ताओं का मामला- 2003, 2005 और 2006 की योजना के तहत वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के कारण बनाया जाता है?

(18) पुन: श्रीमती **सुषमा गोसाईं बनाम भारत संघ और अन्य**[4], माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार ये व्यवस्था दी है:-

"'हमने दोनों पक्षों की सलाह सुनी और प्रस्तुत समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार किया। हमें ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालयने यांत्रिक तरीके से आदेश दिया है । और यूं कहें तो आदेश में न्याय की भावना का अभाव है, सुषमा गोसाईं ने नवंबर 1982 में निचला प्रभाग क्लर्क के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। तब उन्हें उपरोक्त सरकारी ज्ञापन के तहत अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए अपने मामले पर विचार करने का अधिकार था। 1983 में, उन्होंने डीजीबीआर द्वारा आयोजित ट्रेड परीक्षा और साक्षात्कार पास किया। उन्हें 1985 तक इंतजार करने का कोई कारण नहीं है जब महिलाओं की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नियुक्ति से इनकार करना स्पष्ट रूप

[4] 1989 (2) R.S.J. 598.

से मनमाना है और मामले के किसी भी दृष्टिकोण से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है ।

(19) फिर से: **अशोक कुमार** *बनाम* **हरियाणा राज्य और अन्य** 2004 के अप्रमाणित सीडब्ल्यूपी नंबर 11313, निर्णय की तारीख 1 सितंबर, 2005, इस न्यायालय ने उसी प्रस्ताव का फैसला किया है, जो इस प्रकार है:-

"हमारी स्पष्ट राय है कि चूंकि याचिकाकर्ता का मामला पुरानी नीति के तहत तय किया गया था, इसलिए उपरोक्त उद्धृत पैराग्राफ के आलोक में नई नीति के तहत मामले पर फिर से विचार करने का उत्तरदाताओं के पास कोई अधिकार नहीं था। हमारी आगे की राय यह है कि यह मानते हुए भी कि याचिकाकर्ता के मामले पर नई नीति के तहत विचार किया जाना चाहिए, उत्तरदाताओं की यह दलील कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के समय उनकी उम्र अधिक थी, याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का अधिकार नहीं दिया जा सका। स्वीकार किया जाए क्योंकि नई नीति, अनुलग्नक पी-9 में मृत कर्मचारी की आयु के संबंध में कोई शर्त नहीं दी गई है। इस मामले को विशेष रूप **से जय राम बनाम उत्तरहरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, 2004** (4) एससीटी 664 में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा निपटाया गया है, जिसमें यह माना गया है कि 55 साल का प्रतिबंध दिनांकित 31 मार्च, 2005, नीति पर लागू नहीं किया जा सकता है।

(20) इसमें शामिल एक ही प्रश्न की भी जांच की गई थी इस न्यायालय की डिवीजन बेंच **कमलेश** *बनाम* **हरियाणा राज्य और दूसरे,** 2006 के अप्रमाणित सीडब्ल्यूपी नंबर 6183 ने 17 अगस्त को फैसला किया, 2006 और इसके तहत मनाया गया: —

"पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, हमारा मानना है कि अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित मामले में उत्तरदाताओं द्वारा अपनाया गया सख्त दृष्टिकोण अनुचित होगा। अनुकंपा नियुक्ति पर विचार

करने वाले नियमों का उद्देश्य प्रदान करना है मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को कुछ सहायता, जो वस्तुतः परिवार का कमाने वाला है। यह एक ऐसे परिवार को अचानक होने वाली घटना के चंगुल से बचाने के सामाजिक उद्देश्य को आगे बढ़ाता है, जिसमें पूरा परिवार डूब जाता है। दरिद्रता और असहायता. नियमों द्वारा जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई है, उसे नियमों की सख्ती से व्याख्या करके पराजित नहीं किया जा सकता है जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा किया गया है।''

(21) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ एक प्रभाग में विषय से संबंधित सभी उपरोक्त मामलों का निर्णय करते हुए इस न्यायालय की न्यायपीठ ने विशेष रूप से मृत्यु के समय उस नीति को रखा है मृतक, कर्मचारी को ध्यान में रखते हुए लिया जाना है अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रित का दावा तय करना या वित्तीय सहायता। कानून के उपर्युक्त प्रस्ताव का पालन करके, हम मृतक की मृत्यु के समय उस नीति का पालन करते हैं सरकारी कर्मचारी के निर्धारण के लिए लागू होगा मृतक कर्मचारी के आश्रित का दावा।

(22) हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलें सुनी हैं और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

(23) समय-समय पर विभिन्न योजनाओं, नीतियों और नियमों को तैयार करने में राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों का पुनर्वास करना है। सभी अनुग्रह योजनाएं उन शोक संतप्त परिवार के कल्याण के लिए तैयार की जाती हैं, जिनके कमाने वाले ने राज्य की सेवा की है और राज्य की सेवा में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई है। याचिकाकर्ता (ओं) के वकील ने प्रस्तुत किया है कि योजना/नीतियों/नियमों का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए और उस संदर्भ में हम सचिव के मामले का संदर्भ देने के लिए इच्छुक हैं- **सचिव एच. स. ई. एफ. बनाम सुरेश**[5]। इस मामले में, यह माना कि न्यायालय को न्याय, समानता

[5] 1993 (3) S.C.C. 601.

और अच्छे विवेक के सिद्धांतों से प्रेरित जनता के हित में निर्णय लेना चाहिए। इसी तरह **इस्पात प्राधिकरण भारत लिमिटेड की** *बनाम* **नेशनल यूनियन वाटरफ्रंट वर्कर्स** [6] का मामला हमें कानूनों की व्याख्या के संदर्भ में मार्गदर्शन करता है कि सामाजिक कल्याण कानून की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। इस संदर्भ में यह देखा है कि श्रमिकों और गरीब वर्गों को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने वाले ऐसे सामाजिक कानून के प्रावधानों पर विचार किया जाना चाहिए, न कि निजी या सामान्य कानूनों के।

---

[6] 2001 (7) S.C.C. 1.

(24) हमारी सुविचारित राय में, मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए राज्य द्वारा बनाई गई अनुग्रह योजनाएं, नीतियां और नियम हरियाणा राज्य के किसी भी मृतक सरकारी कर्मचारी के शोक संतप्त परिवार के कल्याण के लिए हैं, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है।

(25) इन सभी मामलों में, प्रत्यर्थियों ने किसी न किसी तरह से याचिकाकर्ता के दावे का खंडन किया है। तत्काल मामले में प्रत्यर्थियों ने 11 अक्टूबर, 2005 को याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु को स्वीकार किया है और आगे कहा है कि याचिकाकर्ता ने अपने बेटे की नियुक्ति के लिए 24 अक्टूबर, 2005 को एक आवेदन दायर किया था, जो कक्षा 12 वीं में पढ़ रहा था। याचिकाकर्ता का आवेदन अनुलग्नक आर-एल के रूप में संलग्न है। याचिकाकर्ता के बेटे का मामला 26 जुलाई, 2006 को अनुग्रह योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए पुलिस महानिरीक्षक, रोहतक रेंज को भेज दिया गया था। यह लिखित कथन में भी परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता सरकारी नीति/निर्देशों के अनुसार राशि स्वीकार करने में रुचि नहीं रखता था और तदनुसार, याचिकाकर्ता का मामला 28 अगस्त, 2006 को आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को भेजा गया था। 4 अक्टूबर, 2006 को पुलिस महानिदेशक के कार्यालय ने याचिकाकर्ता को नियम 2003-05 के तहत प्रदान की गई एकमुश्त अनुग्रह अनुदान या नए नियम, 2006 के तहत प्रदान की गई मासिक सहायता का विकल्प देने का विकल्प दिया था। हालाँकि, याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से पेश हुई और उसने लिखित रूप में अपना विकल्प दिया कि वह न तो एकमुश्त राशि का विकल्प चुनना चाहती है और न ही नियम, 2003-2005 या 2006 के तहत प्रदान की गई मासिक सहायता का। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दिया कि उसके बेटे को कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया जाए जैसा कि प्रतिवादी नं. 5 विशेष रूप से जब प्रत्यर्थी नं. 5 उसकी पति की मृत्यु के बहुत बाद मृत्यु हो गई और उत्तरदाता इस संबंध में उत्तरदाताओं द्वारा बनाए गए वरिष्ठता के अनुसार नौकरी की पेशकश करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। जबकि प्रत्यर्थी का रुख यह है कि नई नीति के तहत अनुग्रह नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है और याचिकाकर्ता को इस संबंध में पहले से ही सूचित किया गया है। याचिकाकर्ता अनुग्रह राशि नीति के अनुसार अनुकंपा के आधार पर केवल एक बार की राशि या मासिक वित्तीय सहायता/सहायता प्राप्त कर सकता है।

(26) हम उत्तरदाताओं द्वारा लिए गए रुख की सराहना और स्वीकार करने में असमर्थ हैं, जबकि हम याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कथनों में सार पाते हैं(s). जैसा कि ऊपर देखा गया है कि याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु 11 अक्टूबर, 2005 को हुई थी और अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन 24 अक्टूबर, 2005 को दायर किया गया था। उक्त आवेदन पर तत्कालीन प्रचलित नियमों/नीति/योजना के तहत विचार किया जाना था। मान लीजिए कि वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता को लागू नियमों/नीति/योजना के तहत विचार किए जाने के लाभ से वंचित कर दिया गया है।

(27) इन परिस्थितियों में, हम इन याचिकाओं का निपटान करते हैं और प्रतिवादियों को सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय लागू निर्देशों/नियमों के आलोक में याचिकाकर्ता (ओं) के दावे पर नए सिरे से विचार करने का निर्देशित करते हैं ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शैली नैन,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
पानीपत, हरियाणा